अध्याय १०

नालियाँ तथा जलोत्सारण

ख१,[निगम] की नालियाँ

२२८. मुख्य नगराधिकारी द्वारा नालियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत की व्यवस्था—(१) सामान्य आदेशों के अधीन रहते हुए, जो कार्यकारिणी समिति एतदर्थ समय—समय पर दे, मुख्य नगराधिकारी [1][निगम] की समस्त नालियों का संरक्षण (maintain) तथा उनकी मरम्मत करायेगा और कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से नगर के भीतर तथा बाहर ऐसी नयी नालियों का निर्माण करायेगा, और नगर तथा उसके सन्निकट के चतुर्दिक क्षेत्र में यथाद्देश्य जल निस्तारण के लिये समय—समय पर आवश्यक प्रतीत हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी छावनी (cantonment) की सीमाओं के भीतर किसी भी नाली का निर्माण राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना तथा उस डिवीजन के, जिसमें उक्त छावनी स्थित हो, जनरल आफिसर कमांडिंग की सहमति के प्रतिफल या ऐसी सहमति न दिये जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, न किया जायेगा।

(२) किसी ऐसी सड़क की दशा में, जिसमें [2][निगम] की नाली हो, मुख्य नगराधिकारी [2][निगम] की निधि पर भारित व्यय से किसी भू—गृहादि (premise) की नाली के, जिसे उक्त [2][निगम] की नाली से जोड़ना हो, ऐसे भाग को भी निर्मित करायेगा जिसका उक्त सड़क के किसी भाग के नीचे बनवाना आवश्यक हो तथा सड़क के नीचे इस प्रकार बनवायी हुयी जोड़ने वाली नालियों (connecting drains) का भाग संधारित किया जायेगा और उसकी मरम्मत की जाती रहेगी।

२२६. ख२,[निगम] द्वारा नालियों तथा नालियों के जल के या मलादि (drainage or sewage) के निस्सारण के निर्माण–कार्यों का अपनाया जाना (adoption)–(१) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय [१][निगम] के अनुमोदन से घोषणा कर सकता है कि कोई नाली अथवा उसका कोई भाग या नालियों या मलादि के निस्सारण के कोई निर्माण–कार्य जो नगर के भीतर स्थित हों अथवा नगर अथवा उसके किसी भाग के उपयोग में आ रहे हों, उस दिनांक से, जो घ ोषणा में निर्दिष्ट की जाये [१][निगम] में निहित हो जायेंगे।

(२) मुख्य नगराधिकारी, यह निर्णय करने में कि उपधारा (१) के अधीन घोषणा की जाये या नहीं, मामले की समस्त परिस्थितियों तथा विशेषकर निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा–

(क) सम्बद्ध नाली अथवा निर्माण–कार्य (works) किसी जलोत्सारण (drainage) या नालियों के निस्सारण (drainage disposal) अथवा मल–निस्सारण (sewage disposal) की किसी ऐसी सामान्य प्रणाली के लिये, जिसकी व्यवस्था मुख्य नगराधिकारी ने नगर अथवा उसके किसी भाग के निमित्त की हो, अनुकूल है या नहीं अथवा उसके या उनके लिये अपेक्षित है या नहीं ;

(ख) नाली सड़क के अथवा उस भूमि के नीचे है या नहीं जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके उपबन्धों के अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के द्वारा, अथवा अधीन, सड़क के लिए सुरक्षित है ;

(ग) भवनों की संख्या, जिनके लिये नाली का उपयोग अभिप्रेत है, और अन्य भवनों को निकटता (proximity) या भावी विकास की संभावना का ध्यान रखते हुए क्या यह संभव है कि वह अतिरिक्त भवनों के उपयोग के लिये अपेक्षित हो सकती है ;

(घ) नाली अथवा निर्माण–कार्यों के बनाये जाने की रीति और उनकी मरम्मत की दशा ; तथा

(ङ) क्या प्रस्तावित घोषणा का करना सम्बद्ध नाली या निर्माण–कार्य के स्वामी के लिये अत्यधिक हानिकर (seriously detrimental) होगा।

(३) जब कभी उपधारा (१) के अधीन घोषणा करने का प्रस्ताव हो ; तो मुख्य नगराधिकारी सम्बद्ध नाली अथवा निर्माण–कार्य के स्वामी अथवा स्वामियों को प्रस्ताव की लिखित सूचना देगा कि वे तामील के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर उसके विरुद्ध कारण बतायें तथा पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने तक, या जब कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो तो उस आपत्ति के निस्तारण तक, घ ोषणा न की जायेगी।

(४) जब उपधारा (१) में निर्दिष्ट घोषणा का सम्बन्ध किसी ऐसी नाली, नालियों के जल के या मलादि (drainage or sewage) के निस्सारण के निर्माण–कार्यों से हो जो [१][निगम] से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में स्थित हों, अथवा नगर के भीतर स्थित हों, किन्तु ऐसे क्षेत्र अथवा क्षेत्र के भाग के उपयोग में आ रहे हों, जो उक्त स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में हो, तो मुख्य नगराधिकारी उस प्राधिकारी को भी सूचना देगा तथा कोई घोषणा न की जायेगी, जब तक या तो उसके लिये उस प्राधिकारी की सहमति न प्राप्त हो गई हो अथवा राज्य सरकार ने चाहे बिना किसी शर्त के अथवा किन्हीं ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें लगाना वह उचित समझे, ऐसी सहमति की कोई आवश्यकता न समझी हो।

(५) उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसी नाली अथवा नाली के भाग या किसी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में, जो [१][निगम] से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा रेलवे प्रशासन में निहित हो या हों, सम्बद्ध प्राधिकारी सरकार या रेलवे प्रशासन की प्रार्थना के बिना कोई घोषणा न की जायेगी।

(६) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (१) के अधीन घोषणा होने के तत्काल पूर्व सम्बद्ध नाली को उपयोग में लाने का अधिकारी था, घोषणा के होते हुए भी उसे अथवा उसके स्थान पर बनायी गयी दूसरी नाली को पहले की आयति (extent) तक ही उपयोग में लाने का अधिकारी होगा।

२३०. नालियाँ बनाने का अधिकार–(१) मुख्य नगराधिकारी, [१][निगम] की किसी नाली को किसी सड़क अथवा किसी अन्य स्थान के, जो सड़क के रूप में तैयार की गयी (laid out) हो या उसके लिये

अभिप्रेत (intended) हो, बीच में से या उसके आरपार या उसके नीचे अथवा किसी सड़क के नीचे स्थित गोदाम (cellar) या तहखाने (vault) के नीचे से ले जा सकता है तथा सम्बद्ध भूमि के स्वामी या अध्यासी (occupier) को समुचित लिखित नोटिस देकर, नगर के भीतर स्थित किसी भी भूमि के भीतर से, बीच से या नीचे से ले सकता है या मल (sewage) इत्यादि की बाह्य गिरावट (outfall) या वितरण के प्रयोजन के लिये नगर के बाहर स्थित भूमि के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कर सकता है।

(२) मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी भूमि में, जहाँ पहले ही से [ख३][निगम] की कोई विधितः निर्मित हो, प्रवेश कर सकता है और वर्तमान नाली के स्थान पर कोई नयी नाली बना सकता है या इस प्रकार बनायी गयी [१][निगम] की किसी नाली की मरम्मत कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है।

२३१. नालियों में परिवर्तन और उन्हें बन्द करना—मुख्य नगराधिकारी, किसी किसी नाली को बढ़ा सकता है, उसका मार्ग परिवर्तित कर सकता है या उसे गहरा कर सकता है या उसे छोटी कर सकता है, उस पर मेहराब बना सकता है या अन्य प्रकार से उसका सुधार कर सकता है तथा किसी ऐसी नाली को हटा (discontinue) कर सकता है, बन्द कर सकता है या नष्ट कर सकता है, जो उसके मतानुसार बेकार या अनावश्यक हो गयी हो या किसी ऐसी नाली का उपयोग या तो पूर्णतया या गन्दे पानी के उत्सारण के प्रयोजन के लिये या सतह के जल के उत्सारण (surface drainage) के प्रयोग के लिये प्रतिषिद्ध कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस धारा में की गयी किसी बात के कारण कोई व्यक्ति किसी नाली के विधिपूर्वक प्रयोग से वंचित होता हो, तो मुख्य नगराधिकारी उसके उपयोग के लिये यथाशक्य शीघ्र [१][निगम] के व्यय से उतनी ही उपयुक्त किसी अन्य नाली की व्यवस्था कर देगा जितनी वह नाली थी, जो हटायी, बन्द की या नष्ट की गयी थी अथवा जिसका प्रयोग प्रतिषिद्ध कर दिया गया था।

२३२. नालियों की सफाई—(१) [१][निगम] की नालियाँ इस प्रकार निर्मित की जायेंगी, संधारित एवं बनाये रखी जायेंगी कि उनसे कम से कम व्यवहार्य अपदूषण (practicable nuisance) उत्पन्न हो। इन नालियों को समय–समय पर ठीक ढंग से धोया (flushed), साफ किया और खाली किया जायगा।

(२) उक्त नालियों को जल से धोने, उनकी सफाई करने तथा उन्हें खाली करने के लिए मुख्य नगराधिकारी ऐसे हौज (reservoirs), बाँध (sluice), इंजन तथा अन्य निर्माण–कार्य (works), बना अथवा स्थापित कर सकता है, जिन्हें वह समय–समय पर आवश्यक समझे।

निजी सड़कों की नालियों तथा भू–गृहादि का निस्सारण

२३३. निजी सड़क की नालियों को [१][निगम] की नाली से जोड़ने का अधिकार—किसी निजी सड़क का स्वामी, विहित की जाने वाली शर्तों को पूरा करने पर, ऐसी सड़क की नाली को [१][निगम] को नाली से जोड़ सकता है।

२३४. भवनों तथा भूमि के स्वामियों और अध्यासियों को [१][निगम] की नालियों में जल–निस्सारण का अधिकार—(१) इस धारा के बाद उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भ–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को यह अधिकार होगा कि वह अपनी नाली को [१][निगम] की नाली में अथवा अन्य ऐसे स्थान पर खाली करे (empty) जो नालियों के जल के निकास (discharge of drainage) के लिए वैध रूप से अलग कर दिया गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को निम्नलिखित का अधिकार नहीं देगी—

(क) किसी [खं४][निगम] की नाली में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिवाय धारा २४० के उपबन्धों के अनुकूल किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) अथवा किसी ऐसे द्रव या अन्य पदार्थ को गिराना, जिसका गिराना इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य तिथि के द्वारा या अधीन प्रतिषिद्ध हो ;

(ख) जहाँ गन्दे पानी (foul water) तथा सतह के पानी (surface water) के लिए [१][निगम] की अलग–अलग नालियों की व्यवस्था हो, वहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से–

(१) गन्दे पानी को ऐसी नाली में गिराना जिसकी व्यवस्था सतह के पानी के लिए की गयी हो, या

(२) मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सतह के पानी को ऐसी नाली में गिराना जिसकी व्यवस्था गन्दे पानी के लिए की गई हो ;

(ग) अपनी नाली इस प्रकार बनाना कि वह झंझा के पानी (storm water) को बहा ले जाने वाली नाली से जाकर सीधी मिले।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों से लाभ उठाने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा और उन शर्तों को पूरा करेगा, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उस रीति (mode) तथा अधीक्षण (superintendence) के सम्बन्ध में विहित करे जिसके अनुसार या अधीन नालियाँ पूर्वोक्त [१][निगम] की नालियों अथवा पूर्वोक्त अन्य स्थानों से जोड़ी जायेंगी।

(३) मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उचित समझे तो उपधारा (२) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञा देने के बदले, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके प्रार्थनापत्र को प्राप्त होने के १४ दिनों के भीतर नोटिस देने के उपरान्त स्वयं नाली या नाले (drain or sewer) को उक्त प्रकार से जुड़वा (connect) सकता है। यदि मुख्य नगराधिकारी ने इस उपधारा के अधीन किसी मामले में कोई कार्यवाही की हो तो इस प्रकार किसी निर्माण–कार्य के लिए किया गया उचित व्यय पूर्वोक्त द्वारा दिया जायगा।

२३५. मुख्य नगराधिकारी के नालियों अथवा प्रस्तावित नालियों के इस प्रकार निर्मित किये जाने की माँग करने का (to require) अधिकार कि वे सामान्य प्रणाली के भाग बन जायँ–(१) यदि कोई व्यक्ति किसी नाली के निर्माण का विचार करे तो मुख्य नगराधिकारी यदि वह समझता है कि प्रस्तावित नाली की आवश्यकता ऐसी सामान्य जल–निस्सारण प्रणाली का भाग बनने के लिए है अथवा पड़ सकती है, जिसकी [१][निगम] द्वारा व्यवस्था की गयी है अथवा जिसकी व्यवस्था करने का उसका विचार है, उस व्यक्ति से यह माँग कर सकता है कि वह उस नाली का निर्माण, पाइपों के धातु (material), आकार (size) गहराई, गिरावट (fall), दिशा, (directions) या बाह्य गिरावट (outfall), के सम्बन्ध में या अन्यथा उस रीति से जिससे निर्माण करने का उसका विचार हो, भिन्न रीति से कराये और तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति का कर्त्तव्य हो जायगा कि वह मुख्य नगराधिकारी की माँग (requisition) का पालन करे।

(२) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (१) के अनुसार नाली का निर्माण कराने वाले व्यक्ति को [१][निगम] निधि में उस अतिरिक्त व्यय को, जो उसने माँग का पालन करने में समुचित रूप से किया हो, भरपाई (reimburse) कर देगा तथा जब तक वह [१][निगम] की नाली नहीं हो जाती, वह [१][निगम] निधि में से समय–समय पर उसे उसके द्वारा समुचित रूप से किये गये उतने व्यय की भरपाई कर देगा जितना उसकी मरम्मत तथा उसके संधारण पर उक्त माँग के पालन करने में किया गया समझा जा सके।

२३६. धारा २३३ तथा २३४ के अनुकल [१][निगम] की नालियों में अन्य नालियों को जोड़ने का कार्य (connections) नहीं किया जायगा–धारा २३३ और २३४ में उपबन्धित व्यवस्था अथवा किसी

विहित की गयी व्यवस्था को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को नाली को किसी खं[५][निगम] की नाली अथवा किसी अन्य स्थान से जो नालियों के जल के निकास के लिए विधिक रूप में अलग कर दिया गया हो, न तो जोड़ेगा और न जुड़वायेगा और मुख्य नगराधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को सूचना देने के उपरान्त इस धारा का उल्लंघन करके बनाये गये किसी ऐसे जोड़ (connection) को बन्द करा सकता है, तुड़वा सकता है अथवा उसे परिवर्तित या पुनर्निर्मित कर सकता है तथा ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय उस सड़क के स्वामी को या उस भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को, जिसके लाभ के लिए जोड़ (connection) बनाया गया था अथवा दोषी (offending) व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा।

२३७. नालियों को अन्य व्यक्तियों की भूमि के बीच से ले जाने के भू–गृहादि के स्वामियों तथा अध्यासियों के अधिकार— (१) यदि मुख्य नगराधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि सर्वाधिक सुविधाजनक साधनों (most convenient means) में एकमात्र साधन, जिसके द्वारा किसी भू–गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी अपनी नाली को [१][निगम] की नाली में अथवा किसी अन्य ऐसे स्थान में, जो नालियों के जल के निकास (discharge) के लिए विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, खाली कर सकता है, यही है कि वह उसे उक्त स्वामी या अध्यासी से भिन्न किसी व्यक्ति की भूमि के भीतर से (into), बीच से (through) अथवा नीचे से ले जाय तो मुख्य नगराधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा उक्त स्वामी को प्राधिकृत (authorize) कर सकता है कि वह अपनी नाली उक्त भूमि के भीतर से, बीच से अथवा नीचे से ऐसी रीति से ले जाय जिसकी अनुज्ञा देना (allow) वह उचित समझे।

(२) उपधारा (१) के अधीन तब तक कोई प्राधिकार प्रदान (authorization) नहीं किया जायगा जब तक कि भूमि के स्वामी को नोटिस न दे दी गयी हो तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

(३) उपधारा (१) के अधीन ऐसी प्रत्येक आज्ञा, जिस पर मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर हों, उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दी गयी हो अथवा उसके अभिकर्त्ता (agent) या सेवक (servant) को इस बात का पूर्ण प्राधिकार (complete authority) देगी कि वह समुचित रूप से नोटिस देने के बाद उक्त भूमि पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अपने सहायकों और श्रमिकों (workmen) के सहित प्रवेश करे (enter upon) और आवश्यक निर्माण कार्य (work) सम्पादित करे।

(४) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी भू–गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियोजित कोई अभिकर्त्ता या व्यक्ति, किसी ऐसे भूमि के स्वामी को, जिसमें उसके उक्त भू–गृहादि के जल–निस्सारण के लिए पहले ही कोई नाली विधितः निर्मित है, अपने ऐसा करने के आशय का समुचित रूप में लिखित नोटिस देने या प्रस्तुत करने के उपरान्त अपने सहायकों तथा श्रमिकों (workmen) के सहित उक्त भूमि पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश कर सकता है तथा वर्तमान नाली के स्थान पर नयी नाली बना सकता है या इस प्रकार निर्मित किसी नाली की मरम्मत कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है।

(५) इस धारा के अधीन किसी कार्य को सम्पादित करने में यथासंभव कम से कम क्षति (damage) पहुँचायी जायगी तथा उस भू–गृहादि का, जिसके लाभ के लिए निर्माण–कार्य किया जा रहा है, स्वामी या अध्यासी—

(क) निर्माण–कार्य का सम्पादन इस प्रकार करायेगा कि उसमें कम से कम व्यवहार्य विलम्ब हो ;

(ख) उक्त निर्माण–कार्य के सम्पादन के प्रयोजन के लिए खुदवायी गयी, तोड़ी गयी अथवा हटायी गयी किसी भूमि अथवा किसी भवन के भाग या अन्य किसी निर्माण का अपने व्यय से तथा

इस प्रकार भरवायेगा, पुनः स्थापित करायेगा (reinstate) तथा पूरा करायेगा (make good) कि उसमें कम से कम व्यवहार्य विलम्ब हो ;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर (compensation) देगा जिसे उक्त निर्माण कार्य के सम्पादन के कारण क्षति उठानी पड़ी हो।

(६) यदि किसी ऐसी भूमि, जिसके भीतर से, बीच से या नीचे से इस धारा के अधीन उस समय कोई नाली ले जायी गयी थी जब उस पर कुछ बना नहीं था, का स्वामी बाद में किसी समय उक्त भूमि पर भवन निर्मित करने (erect) की इच्छा करे तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा उस भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी, जिसके लाभ के लिए उक्त नाली का निर्माण किया गया था, से यह माँग करेगा कि यह उस रीति से, जिसे मुख्य नगराधिकारी अनुमोदित करेगा, उसे बन्द करा दे, हटा दे या मोड़ दे (divert) तथा भूमि को इस प्रकार भरवाये (fill in), पुनःस्थापित (reinstate) तथा पूरा कराये (make good) मानो उक्त नाली उसके भीतर से, बीच से या नीचे से नहीं ले जायी गयी थी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई माँग (requisition) तब तक न की जायगी जब तक कि ये मुख्य नगराधिकारी की राय में यह आवश्यक और इष्टकर (expedient) न हो कि प्रस्तावित भवन के निर्माण की अनुज्ञा दिये जाने के लिए अथवा उसके सुरक्षित उपयोग (safe enjoyment) के लिए नाली को बन्द कर दिया जाय, हटा दिया जाय या मोड़ दिया जाय।

२३८. मुख्य नगराधिकारी [खुद][निगम] की नाली से सौ फीट के भीतर स्थित ऐसे भू–गृहादि में जल–निस्सारण व्यवस्था को लागू कर सकता है, जिनमें जल–निस्सारण की व्यवस्था न हो—जब मुख्य नगराधिकारी की राय में कोई भू–गृहादि यथोद्देश्य जल–निस्सारण के पर्याप्त साधनों से रहित हो और कोई [1][निगम] नाली या नालियों के जल के विकास (discharge) के लिए विधिक रूप से अलग किया गया कोई स्थान उक्त भू–गृहादि के किसी भाग से सौ फीट से अनधिक दूरी पर स्थित हो तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी से माँग कर सकता है कि वह—

(क) ऐसी सामग्री (material), ऐसे आकार (size) और ऐसे प्रकार (description) की नाली बनाये तथा उसे उस धरातल (level) पर रखे और इस प्रकार पंक्तिबद्ध (alignment) करे तथा ऐसी [1][निगम] की नाली में या पूर्वक्ति स्थान में खाली करे जिसे मुख्य नगराधिकारी आवश्यक या उचित समझे ;

(ख) ऐसे समस्त उपकरणों (appliances) तथा संधायनों (fittings) की व्यवस्था करे और उन्हें स्थापित करे जो मुख्य नगराधिकारी को उक्त भू–गृहादि से जल–निस्सारण (drainage) को इकट्ठा करने (gathering) और प्राप्त करने तथा उसे उसके बाहर तक पहुँचाने तथा उक्त नाली तथा उससे सम्बद्ध प्रत्येक संलग्न (fixture) को यथोद्देश्य रूप से (effectually) जल से धोने (flashing) के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हो ;

(ग) किसी ऐसी वर्तमान नाली या अन्य उपकरणों (appliances) या वस्तुओं की, जो जल–निस्सारण के लिए प्रयुक्त हों या जिनका उसके लिए प्रस्तुत किया जाना अभिप्रेत हो, हटा दे जो मुख्य नगराधिकारी की राय में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों अथवा किसी खुली नाली के स्थान पर बन्द नाली की व्यवस्था करे अथवा उसी प्रकार के अन्य ऐसे उपकरणों (appliances) या वस्तुओं की व्यवस्था करे, जिन्हें वह आवश्यक समझे ;

(घ) ऐसे समस्त उपकरणों तथा संधायनों (fittings) की व्यवस्था करे तथा उन्हें लगाये (set-up) को भवनों के धोये जाने के समय उनके फर्श तथा दीर्घाओं (gallaries) से आने वाले बेकार

पानी (waste water) को इकट्ठा करने तथा उसे ग्रहण करने (receiving) और टोटियों (spouts) से या जल नीचे जाने वाले पाइपों (down-take pipes) द्वारा स्थानान्तरित करने (conveying) के प्रयोजन के लिए मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो ताकि उक्त बेकार पानी को सीधे सड़कों या भू–गृहादि के किसी निचले भाग के भीतर जाने से रोका जा सके।

२३६. मुख्य नगराधिकारी ऐसे भू–गृहादि पर, जो [ख७,]**[निगम] की नाली से सौ फीट के भीतर स्थित न हो जो जल–निस्सारण की व्यवस्था से रहित (undrained) हों, जल निस्सारण की व्यवस्था को लागू कर सकता है**—जब कोई भू–गृहादि मुख्य नगराधिकारी की राय में सफल जल–निस्सारण के पर्याप्त साधनों से रहित हो, किन्तु उक्त भू–गृहादि के किसी भाग से सौ फीट कोई [1][निगम] नाली स्थित न हो, तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी से माँग कर सकता कि वह—

(क) एक नाली उस स्थान (point) तक, जो ऐसे नोटिस में विहित किया जायगा, निर्मित कराये, किन्तु वह स्थान उक्त भू–गृहादि के किसी भाग से सौ फीट की दूरी से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिये ; अथवा

(ख) ऐसे बन्द मलकूल (cesspool) का निर्माण कराये, जो ऐसी सामग्री (material), ऐसे आकार (size) और ऐसे प्रकार (description) का हो और ऐसी स्थिति (position) में हो, ऐसे धरातल (level) पर हो और उसमें ऐसे गिरावट (fall) की गुंजायश (allowance) हो, जो मुख्य नगराधिकारी आवश्यक समझे और ऐसी नाली या नालियों का भी निर्माण कराये, जो इस मलकूल (cesspool) में खाली होती हों।

२४०. व्यापारिक व्यर्थ द्रव–पदार्थ (trade effluent) से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध—इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों (bye-laws) और एतदर्थ किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी व्यापारिक भू–गृहादि (trade premises) का अध्यासी उस भू–गृहादि से निकलने वाले किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव–पदार्थ (trade effluent) को [1][निगम] की नालियों में गिरा सकता है।

२४१. मुख्य नगराधिकारी का भू–गृहादि से संयुक्त रूप से जल–निस्सारण का अधिकार—(१) जब मुख्य नगराधिकारी की यह राय हो कि भू–गृहादि के किसी ऐसे गण या खंड (group or block) में जिसका कोई भाग किसी [1][निगम] नाली से अथवा [1][निगम] द्वारा नालियों के जल–निकास के लिए पृथक किये गये किसी ऐसे स्थान से, चाहे वह पहले से ही वर्तमान हो या जिसका निर्माण होने वाला हो, सौ फीट के भीतर स्थित हो, जल–निस्सारण की व्यवस्था पृथक् रूप से जल–निस्सारित किये जाने की अपेक्षा संयुक्त रूप से अधिक मितव्ययिता अथवा लाभप्रद ढंग से की जा सकती है, तो मुख्य नगराधिकारी भू–गृहादि के ऐसे गण या खंड में ऐसी रीति (method) से जल–निस्सारण की व्यवस्था करवा सकता है, जो मुख्य नगराधिकारी को उसके निमित्त सर्वोत्तम प्रतीत हो तथा ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय का भुगतान उन भू–गृहादि के स्वामियों को ऐसे अनुपात में करना पड़ेगा, जिसे मुख्य नगराधिकारी उचित समझे।

(२) इस धारा के अधीन किसी निर्माण–कार्य (work) के प्रारम्भ होने के कम से कम १५ दिन पहले मुख्य नगराधिकारी ऐसे समस्त भू–गृहादि के, जो जल–निस्सारण किये जाने वाले हैं, स्वामियों को निम्नलिखित के संबंध में लिखित रूप में नोटिस देगा—

(क) अभिप्रेत निर्माण–कार्य का स्वरूप (nature) ;

(ख) उसके ऊपर होने वाला अनुमानित व्यय ; तथा

(ग) ऐसे व्ययों का वह अनुपात जो प्रत्येक स्वामी द्वारा देय हो।

(३) उन अनेक भू–गृहादि के तत्कालीन स्वामी जो मिल कर कोई ऐसा गण या खंड बनाते हों, जिनका उपधारा (१) के अधीन जल–निस्सारण किया जाता हो, निर्मित की गई (constructed), खड़ी की गयी (erected) या लगायी गई (fixed) या केवल ऐसे भू–गृहादि के विशेष प्रयोग और लाभ के लिए जारी रखी गयी (continued) प्रत्येक नाली के संयुक्त स्वामी (joint owners) होंगे और यह निर्धारित किये जाने पर कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा उपधारा (१) के अधीन किये गये व्ययों को उक्त भू–गृहादि के स्वामियों को किस अनुपात में वहन करना है, वे स्वामी उसी अनुपात में उन व्ययों के लिए भी उत्तरदायी (responsible) होंगे, जो प्रत्येक ऐसी नाली को अच्छी मरम्मत कराकर इसे कुशल दशा (efficient condition) में संभरित रखने के संबंध में हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक ऐसी नाली को समय–समय पर [ख्ध्,][निगम] निधि से व्यय करके मुख्य नगराधिकारी द्वारा धुलाया जायेगा (cleansed), साफ किया जायगा तथा खाली किया जायगा।

२४२. मुख्य नगराधिकारी वर्तमान निजी नालियों का प्रयोग बन्द अथवा सीमित कर सकता है—(१) यदि किसी भू–गृहादि को किसी [1][निगम] की नाली या अन्य स्थान से जो नालियों के जल के निकास के लिए विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, जोड़ने वाली नाली चाहे वह उक्त भू–गृहादि के यथोद्देश्य जल–निस्सारण के लिए पर्याप्त हो तथा अन्य किसी प्रकार से भी आपत्तिजनक न हो, मुख्य नगराधिकारी की राय में नगर की या नगर के उस भाग की, जिसमें वह नाली स्थित हो, सामान्य जलोत्सारण प्रणाली (general drainage system) से अनुकूलित (adapted) नहीं है, तो मुख्य नगराधिकारी—

(क) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नाली को बन्द कर सकता है, रोक सकता है या नष्ट कर सकता है और भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को नोटिस देने के पश्चात् उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई कार्य करा सकता है ;

(ख) आदेश दे सकता है कि ऐसी नाली, उस दिनांक से जो वह एतदर्थ निर्दिष्ट करे, केवल गन्दे पानी (sullage) और मल इत्यादि (sewage) के लिए या केवल बरसाती पानी के लिए या केवल अदूषित उपभूमिगत पानी (unpollutted subsoil water) के लिए या केवल बरसाती पानी और अदूषित उपभूमिगत पानी दोनों के लिए प्रयुक्त की जायगी और लिखित नोटिस द्वारा सम्बद्ध भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी से माँग कर सकता है कि वह बरसाती पानी या अदूषित उपभूमिगत पानी या बरसाती पानी और अपदूषित उपभूमिगत पानी दोनों के लिए या गन्दे पानी (sullage) और मल इत्यादि (sewage) के लिये पूर्णतः भिन्न नाली बनाये।

(२) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन किसी नाली को तब तक बन्द, रोक या नष्ट न कर सकेगा जब तक कि वह भू–गृहादि के जल–निस्सारण के लिए वैसी ही प्रभावी और ऐसी [1][निगम] की नाली अथवा उपयुक्त अन्य स्थान जिसे मुख्य नगराधिकारी ठीक समझे, से संचारित दूसरी नाली की व्यवस्था न कर देगा और मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस प्रकार बनवायी गयी नाली और उक्त खंड के अधीन किये गये किसी कार्य के निर्माण के व्यय का भुगतान मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जायगा।

२४३. सम्पत्ति के एक मात्र (sole) प्रयोग के लिए नालियों का निहित किया जाना और उनका संधारण—धारा २८८ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक नाली, जो बनायी गयी, लगायी गयी, खड़ी की गयी या स्थापित की गयी हो, चाहे इसका व्यय [1][निगम] ने वहन किया हो या नहीं, या जो किसी भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण के एक मात्र प्रयोग और लाभ के लिए जारी रखी गई हो—

(क) धारा २४४ में किसी बात के होते हुए भी, निश्चित दिन पर और से, ऐसे भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण के स्वामी में निहित हो जायगी ;

(ख) नाली के लिए अन्य सभी उपकरणों तथा संधायनों (fittings) की व्यवस्था की जायगी, जो उसके अधिक प्रभावकर ढंग से काम में लाने के लिए मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो और ऐसे भू–गृहादि के गण, स्वामी द्वारा उक्त नाली की समय–समय पर अच्छी प्रकार मरम्मत की जाया करेगी, उसे अच्छी दशा में रखा जायगा और उसे समय–समय पर [1][निगम] निधि पर भारित व्यय से धोया जायगा (flush) साफ किया जायगा और खाली किया जायगा।

२४४. ऐसे भू–गृहादि की जो [ख्६,][निगम] के न हों, नालियों आदि पर [1][निगम] का अधिकार, जिनका निर्माण आदि [1][निगम] निधि से किया गया है–ऐसे जल निस्सारण निर्माण–कार्य से सम्बद्ध सभी नालियाँ, संवीजन–दण्डों (ventilation shafts) और पाइप तथा निर्माण–कार्य सम्बन्धी सभी उपकरण एवं संधायन (fittings) जो किसी भी समय [1][निगम] निधि या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि से किये गये व्यय से, जिसका [1][निगम] का न हो, बनाये गये हों, खड़े किये गये हों और उक्त भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण के एकमात्र प्रयोग या लाभ के लिए ही न हों, [1][निगम] में निहित हो जायेंगे, जब तक कि [1][निगम] ने अन्यथा निर्धारित न किया हो।

२४५. नये भवन बिना नालियों के नहीं बनाये जायेंगे–(१) नये भवन को निर्मित करना या किसी नव निर्मित या पुनर्निर्मित भवन पर अध्यासीन होना तब तक वैध न होगा, जब तक कि–

(क) किसी ऐसे आकार, सामग्री और प्रकार की तथा ऐसे धरातल (level) पर और ऐसी गिरावट की कोई नाली न बनायी गयी हो, जो मुख्य नगराधिकारी को उस भवन के यथोद्देश्य जल–निस्सारण (drainage) के लिए आवश्यक प्रतीत हो ;

(ख) ऐसे भवन और उससे सम्बद्ध (appurtenant thereto) भू–गृहादि में ऐसे सभी उपकरणों और संधायनों (fittings) की व्यवस्था न की गई हो और उन्हें स्थापित (set-up) न किया गया हो जो उक्त भवन और उक्त भू–गृहादि से नालियों के जल को इकट्ठा करने और ग्रहण करने तथा बाहर ले जाने के प्रयोजनों के लिए और उक्त भवन और उससे सम्बद्ध प्रत्येक संलग्नक (fixture) की नाली को सफल रूप से (effectually) धोने (flushing) के लिए मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो।

(२) पूर्वोक्त प्रकार से निर्मित की जाने वाली नाली किसी [1][निगम] की नाली में या किसी ऐसे स्थान पर जा नालियों के जल के निकास (discharge) के लिए विधितः (lawfully) अलग कर दिया गया है और जो उस भू–गृहादि से, जिनमें उक्त भवन स्थित हो, १०० फीट से अधिक दूरी पर न हो, खाली होगी, किन्तु यदि उस दूरी के भीतर कोई ऐसी नाली या स्थान न हो तो वह नाली ऐसी नलकूप (cesspool) में खाली होगी जिसे मुख्य नगराधिकारी निर्दिष्ट करे।

२४६. नालियों के स्वामियों का अपनी नालियों का अन्य व्यक्तियों को प्रयोग करने या संयुक्त स्वामित्व की अनुज्ञा देने का आभार–किसी [1][निगम] नाली या ऐसे अन्य स्थान से, जो नालियों के जल के निकास के लिए विधितः अलग किया गया हो, जुड़ी हुई नाली का प्रत्येक स्वामी अन्य व्यक्तियों को उसके प्रयोग करने की अनुज्ञा देने या उन्हें उनके संयुक्त स्वामी के रूप में ऐसे निबन्धनों पर स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा जो धारा २४७ के अधीन विहित किये जायँ।

२४७. स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी नाली के प्रयोग और संयुक्त स्वामित्व का अधिकार कैसे प्राप्त किया जा सकता है–(१) कोई भी व्यक्ति जो, अपने भू–गृहादि को किसी ऐसी नाली द्वारा जिसका वह

स्वामी नहीं है, ख१०[निगम] की नाली में जल निस्सारित करना चाहे, उस स्वामी से नाली का प्रयोग करने की अनुज्ञा के लिए निजी रूप से प्रबन्ध कर सकता है या उस नाली के प्रयोग का प्राधिकार दिये जाने या संयुक्त स्वामी घोषित किये जाने के लिए मुख्य नगराधिकारी को प्रार्थना–पत्र दे सकता है।

(२) यदि प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने या अन्यथा मुख्य नगराधिकारी की यह राय है कि किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी द्वारा उस भू–गृहादि की नाली को किसी [१][निगम] की नाली में या अन्य ऐसे स्थान पर जो नालियों के जल के निकास के लिए विधितः अलग किया गया हो खाली कराने का एक मात्र अथवा सर्वाधिक सुविधाजनक साधन एक ऐसी नाली ही हो सकती है जो उक्त [१][निगम] की नाली से या पूर्वोक्त स्थान से मिलती हो, लेकिन जो उक्त स्थायी या अध्यासी से भिन्न व्यक्ति की हो, तो मुख्य नगराधिकारी नाली के स्वामी को उस सम्बन्ध में कोई आपत्ति करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति न की जाय, या यदि कोई आपत्ति की जाय और वह अस्वीकृत कर दी जाय तो, लिखित आज्ञा द्वारा या तो उक्त स्वामी या अध्यासी को नाली के प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है या उसे संयुक्त स्वामी घोषित कर सकता है, किन्तु एतदर्थ किराया या प्रतिकर देने या उक्त भू–गृहादि की नाली को मिलाने वाली उपर्युक्त नाली () से जोड़ने और संयुक्त नाली के संधारण, मरम्मत, धुलाई, सफाई और खाली करने के लिए क्रमशः दोनों पक्षों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में अथवा अन्यथा ऐसी शर्तें लागू की जा सकती हैं, जो मुख्य नगराधिकारी को न्यायसंगत प्रतीत हों।

(३) प्रत्येक ऐसी आज्ञा द्वारा जिस पर मुख्य नगराधिकारी हो हस्ताक्षर हों, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह दी गयी हो, या किसी ऐसे अभिकर्त्ता या व्यक्ति को जो उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियोजित किया गया हो नाली के स्वामी को उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट प्रतिकर या किराया देने या प्रस्तुत करने (tendering) के पश्चात् और जहाँ तक सम्भव हो अन्य प्रकार से भी उक्त आज्ञा की शर्तें पूरी करने के पश्चात् और नाली के स्वामी को अपने ऐसा करने के आशय की लिखित रूप में समुचित नोटिस देने के बाद उस भूमि पर, जिस पर उक्त नाली स्थित है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, सहायकों और श्रमिकों (workmen) के साथ प्रवेश करने और इस अधिनियम के सभी उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी ऐसी बातें करने का, जो निम्नांकित प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, पूर्ण अधिकार होगा :

(क) दो नालियों को जोड़ना ; या

(ख) योगों (connections) का नवीकरण, उनकी मरम्मत या उन्हें परिवर्तित करना ; या

(ग) उस व्यक्ति से सम्बद्ध किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करना जिसके पक्ष में संयुक्त नाली या उसके किसी भाग के संधारण, मरम्मत, धुलाई, सफाई या खाली करने के लिए मुख्य नगराधिकारी ने आज्ञा दी हो।

(४) उपधारा (३) के अधीन किसी निर्माण–कार्य के सम्पादन के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जिसके पक्ष में मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा दी गयी हो, उन्हीं प्रतिबन्धों (restrictions) और उत्तरदायित्व के अधीन रहेगा जो धारा २३७ की उपधारा (४) में निर्दिष्ट किये गये हैं।

२४८. मल, इत्यादि और बरसाती पानी की नालियाँ अलग–अलग होंगी—जब कभी इस अध्याय में इस बात की व्यवस्था की गयी हो कि किसी भू–गृहादि के यथोद्देश्य जल–निस्सारण (effectual drainage) के लिए कार्यवाही की जायगी या की जा सकती है तो मुख्य नगराधिकारी आदेश दे सकता है कि एक नाली गन्दे पानी, मल इत्यादि और दूषित पानी के लिए होगी और दूसरी तथा पूर्णतः भिन्न (distinct) नाली बरसाती और अपदूषित उपभूमिगत पानी के लिए या बरसाती, और अपदूषित उप–भूमिगत पानी दोनों के लिए होगी और प्रत्येक नाली अलग–अलग [१][निगम] की नालियों में या अन्य ऐसे स्थानों पर जो विधितः नालियों के जल के लिए अलग किये गये हों, या अन्य उपयुक्त स्थानों पर खाली होगी।

२४६. नालियों को संवीजित करने (ventilation), इत्यादि के लिए पाइपों का लगाना—(१) किसी नाली या मलकूप को संवीजित करने (ventilation) के प्रयोजन के लिए चाहे वह ख७११[निगम] का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, मुख्य नगराधिकारी किसी भू—गृहादि पर कोई ऐसे दंड (shaft) या पाइप खड़ा कर सकता है या उन्हें किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ पर लगा सकता है जो मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत होंगे और किसी भवन के बाहर निकले हुए भाग को (projections) जिसमें उनकी छत की कार्निस (caves) भी सम्मिलित हैं, काट सकता है ताकि उक्त दंड या पाइप ऐसे बाहर निकले हुए भाग से होकर ऊपर ले जाया जा सके और उसे किसी भूमि के भीतर बीच में या उसके नीचे ऐसे उपकरण लगा सकता है (lay) जो मुख्य नगराधिकारी की राय में वायु निकलने वाले ऐसे दण्ड या पाइप को उस नाली या मलकूप से, जिसे संवीजित करने (ventilate) का विचार हो, जोड़ने के लिए आवश्यक है।

(२) ऐसा दण्ड या पाइप उस रीति से खड़ा किया जायगा या लगाया जायगा या हटाया जायगा जो विहित की जाय।

(३) यदि उक्त भू—गृहादि, भवन या पेड़ों के स्वामी के अपेक्षा करने पर मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे दंड या पाइप को हटाने से इन्कार करे जो एतदर्थ बने नियमों के अनुसार उन पर या उनके साथ खड़े किये गये हों या लगाये गये हों तो स्वामी का उत्तर प्राप्त होने के १५ दिन के भीतर न्यायाधीश को प्रार्थना—पत्र दे सकता है कि उन्हें हटा देने की आज्ञा दे दी जाय।

(४) उपधारा (३) के अधीन दिये गये प्रार्थना—पत्र की सुनवायी और निस्तारण (disposal) करने में न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाय। इस सम्बन्ध में न्यायाधीश द्वारा दी गयी आज्ञा अंतिम होगी और उससे दोनों पक्ष बाध्य होंगे।

(५) यदि किसी ऐसे भवन या भूमि का जो उपधारा (१) के अधीन काटी गयी हो, खोली गयी हो या अन्यथा व्यवहृत हुई हो, स्वामी उस नाली या मलकूप का स्वामी न हो, जिसे संवीजित (ventilation) करने का विचार हो तो मुख्य नगराधिकारी जहाँ तक व्यावहारिक होगा [1][निगम] निधि से किये गये व्यय से उस भवन को पुनर्निर्मित करेगा और ठीक करवायेगा (reinstate and make good) और उस भूमि को भरवा देगा और उसे ठीक करा देगा।

मल, इत्यादि का निस्सारण

२५०. नालियाँ खाली करने और मल, इत्यादि के निस्सारण के लिए स्थानों का निश्चित किया जाना—मुख्य नगराधिकारी ऐसी रीति से जिसे वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे सभी या किसी [1][निगम] की नाली को किसी स्थान पर चाहे वह नगर के भीतर हो या बाहर खाली करा सकता है और नगर के भीतर या किसी भी स्थान पर मल निस्सारण करा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) मुख्य नगराधिकारी बिना [1][निगम] की स्वीकृति के किसी [1][निगम] की नाली को ऐसे स्थान पर खाली नहीं करायेगा या किसी स्थान का मल—निस्सारण ऐसे स्थान पर या ऐसी रीति से नहीं करायेगा जहाँ और जिस रीति से वह अब तक खाली न की गयी हो या मल—निस्सारण न किया गया हो ;

(ख) कोई [1][निगम] की नाली किसी स्थान पर खाली नहीं करायी जायगी और किसी ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से मल इत्यादि का निस्सारण नहीं कराया जायगा, जिसे अस्वीकार कर देना राज्य सरकार उचित समझे।

२५१. **मल–निस्सारण के लिए साधनों की व्यवस्था**—मुख्य नगराधिकारी मलादि (sewage) को ग्रहण करने, व्यवहृत करने (treating), उसे इकट्ठा करने (storing), उसे कीटाणु रहित करने (disinfecting), उसका वितरण करने या अन्यथा उसका निस्सारण करने के लिए नगर के भीतर या बाहर किसी भूमि, भवन, इंजिन की सामग्री या स्थिर यंत्र (apparatus) की खरीद कर सकता है या पट्टे पर ले सकता है या किसी व्यक्ति के साथ किसी अवधि के लिए, जो २० वर्ष से अनधिक हो, नगर के भीतर या बाहर मलादि (sewage) को हटाने या उसके निस्सारण के लिए कोई प्रबन्ध (arrangement) कर सकता है।

नाबदान, संडास, मूत्रालय, आदि

२५२. **नाबदानों (water closets) और संडासों (privies) का निर्माण**—(१) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति और ऐसे निबन्धनों के, जो तत्समय प्रचलित किसी नियम या उपविधि से असंगत न हों और जिनकी वह व्यवस्था करे, के अनुकूल किसी भू–गृहादि के लिए नाबदान या संडास का निर्माण करना वैध न होगा।

(२) ऐसे निबन्धनों की व्यवस्था करते समय मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक दशा में यह निर्धारित कर सकता है कि—

(क) भू–गृहादि में नाबदान प्रणाली की व्यवस्था रहेगी अथवा संडास प्रणाली की अथवा अंशतः एक की और अंशतः दूसरे की, तथा

(ख) प्रत्येक नाबदान या संडास का स्थल (site) या स्थिति (positioin) क्या होगी।

२५३. **नव निर्मित या पुनर्निर्मित भवनों में नाबदान और अन्य स्थान (accommodation)**—(१) किसी ऐसे भवन का, जो मनुष्यों के निवास के लिए हो या उसके लिए अभिप्रेत हो और जिस पर या जिसमें मजदूर (labourer) और श्रमिक (workmen) नियोजित किये जाने वाले हों, बिना उक्त नाबदान या संडास के स्थान के, और ऐसे मूत्रालय के स्थान तथा स्नान करने या ऐसे भवन के कपड़े और घरेलू बर्तन धोने के स्थान के, जिसको मुख्य नगराधिकारी विहित करे धारा ३१५ के अर्थ में निर्माण, पुनर्निर्माण या रूपान्तर (convert) वैध न होगा।

(२) किसी ऐसे स्थान को विहित करने में मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक दशा में यह निर्धारित कर सकता है कि—

(क) ऐसे भवन या निर्माण–कार्य में नाबदान प्रणाली की व्यवस्था रहेगी या संडास प्रणाली की या अंशतः एक की और अंशतः दूसरी की ;

(ख) प्रत्येक नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने और धुलाई के स्थान का स्थल या स्थिति (site or position) क्या होगी और उनकी संख्या क्या होगी।

(३) उपधारा (२) के अधीन अपेक्षित स्थान (accommodation) निर्धारित करने में मुख्य नगराधिकारी भवन के अध्यासियों (occupants) द्वारा नियोजित (employed) घरेलू नौकरों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त नाबदान तथा संडास और स्नान करने के स्थानों की व्यवस्था करने की आवश्यकता का ध्यान रक्खेगा।

२५४. सार्वजनिक आवश्यकताएँ (public necessities)—मुख्य नगराधिकारी सर्वसाधारण (public accommodation) के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक स्थानों में नाबदान, संडास और मूत्रालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं की व्यवस्था और उनका संधारण करेगा।

निरीक्षण

२५५. ऐसी नालियों, आदि का, जो [ख१२,]**[निगम] की न हों, निरीक्षण और परीक्षण हो सकेगा**—(१) मुख्य नगराधिकारी सभी नालियों, संवीजन दंडों और पाइपों, मलकूपों, घर के जल–मार्गों (house gullies), नाबदानों, संडासों, शौचालयों तथा मूत्रालयों और स्नान करने तथा धुलाई के स्थलों, जो [१][निगम] के न हों अथवा जो भू–गृहादि पर जो [१][निगम] के न हों, [१][निगम] निधि से किये गये व्यय से उक्त गृहादि के स्वामी या अध्यासी के प्रयोग या लाभ के लिये बनाये, खड़े, स्थापित किये गये हों (constructed, erected or set up) का निरीक्षण और परीक्षण कर सकेगा।

(२) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (१) के अधीन निरीक्षण या परीक्षण करते समय, किसी ऐसे व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) का नमूना प्राप्त कर सकता है या ले जा सकता है, जो ऐसे भू–गृहादि से वह कर, जिसका निरीक्षण या परीक्षण किया गया हो, किसी [१][निगम] की नाली में जाता हो, उस नमूने का विश्लेषण (analysis) विहित रीति से किया जायगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन लिये गये नमूने के विश्लेषण का परिणाम इस अधिनियम के अधीन किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य रूप में ग्राह्य होगा।

२५६. निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए भूमि, आदि को खोलने का अधिकार—उक्त निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजन के लिए मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी भूमि या नाली के किसी भाग या अन्य निर्माण–कार्य को, जो भवन के बाहर हों, जिसे वह ठीक समझे, खुलवा, तुड़वा या हटवा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निरीक्षण और परीक्षण करने में यथासंभव कम से कम क्षति पहुँचायी जायगी।

२५७. मुख्य नगराधिकारी मरम्मत, आदि कराने की माँग कर सकता है—जब धारा २५५ के अधीन किये गये निरीक्षण या परीक्षण के फलस्वरूप मुख्य नगराधिकारी को यह पता चले कि कोई नाली, संवीजन–दंड या पाइप, नलकूप, घर का जलमार्ग (house gulley), नाबदान, संडास, शौचालय, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई का स्थल चालू या अच्छी दशा में नहीं है अथवा सिवाय उस दशा के जब वह मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा से या उसके अधीन बनाया गया हो, यदि वह इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों या तत्समय प्रचलित किसी विधायन (enactment) का उल्लंघन करके बनाया गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी स्वामी को लिखित नोटिस देकर माँग कर सकता है कि वह दोष (defect) को ऐसी रीति से दूर कर दे, जिसे वह किसी प्रचलित नियमावली या उपविधि के अधीन रहते हुए आदिष्ट (direct) करे।

सामान्य उपबन्ध

२५८. ऐसे कार्यों का प्रतिषेध जो इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों का उल्लंघन करते हों या जो बिना स्वीकृति किये गये हों—(१) कोई व्यक्ति—

(क) इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों के उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस या दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके या मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से किसी नाली, संवीजन–दंड या पाइप,

मलकूप, नाबदान, संडास, शौचालय या मूत्रालय, या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उससे संबद्ध जाली (trap), आवरण (covering) या अन्य संधायन या उपकरणों के स्थापन, विन्यास या स्थिति (fixing, disposition or position) को नहीं बदलेगा, न उनका निर्माण करेगा, न उन्हें खड़ा करेगा, न स्थापित करेगा, न उनका नवीकरण करेगा, न उनका पुनर्निर्माण करेगा, न हटायेगा, न अवरुद्ध करेगा, न रुकवायेगा, न नष्ट करेगा और न उनमें परिवर्तन करेगा ;

(ख) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी नाली, संवीजन–दंड या पाइप, मलकूप, नाबदान, संडास, शौचालय, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या किसी संधायन या उपकरण को, जो इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रोक दिया जाता है, गिरा दिया गया है या बन्द कर दिया गया है या जिनके सम्बन्ध में ऐसा करने की आज्ञा दे दी गयी है, नवीकृत या पुनर्निर्मित या चालू (unstop) नहीं करेगा ;

(ग) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी नाली, मलकूप, घर के जलमार्ग, नाबदान, संडास, शौचालय या मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल के ऊपर या उस पर अनियमित रूप से किसी आगे निकले हुए भाग अथवा अतिक्रमण (projection over or encroachment upon) को निर्मित नहीं करेगा, न किसी भी प्रकार से उन्हें क्षति पहुँचायेगा, न पहुँचने देगा और न क्षति पहुँचाने की अनुमति देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड की कोई बात तीन फीट से अनधिक चौड़ाई की किसी ऐसी बरसाती (weather shade) पर लागू होगी, जो किसी ऐसी खिड़की पर लगी हुई हो, जो पार्श्ववर्ती (adjoining) घर की दीवाल या खिड़की के सामने न हों ;

(घ) किसी नाली में कोई ईंट, पत्थर, मिट्टी, राख, गोबर या ऐसी वस्तु या पदार्थ (substance or matter) न गिरायेगा, न डालेगा, न रखेगा, न गिरवायेगा, न डलवायेगा या रखवायेगा, न गिराने, डालने या रखने की अनुमति देगा, जिससे नाली को क्षति पहुँचने या उसमें बहने वाली वस्तुओं (contents) को निर्बाध रूप से बहने में बाधा पड़ने की संभावना हो या जिससे उसमें बहने वाली वस्तुओं के व्यवहार या निस्सारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ;

(ङ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपबन्धित (provided for) नाली में कोई ऐसा पदार्थ या तरल पदार्थ न डालेगा, न डलवायेगा, न डालने की अनुमति देगा, जिसके ले जाने (conveyance) के लिए उस नाली की व्यवस्था न की गई हो;

(च) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अनुकूल किसी नाली में कोई रासायनिक असार वस्तु (chemical refuse) या बेकार जाने वाला वाष्प या ऐसा तरल पदार्थ, जिसका तापमान १२० डिग्री फारेनहाईट से अधिक हो और जो ऐसी असारवस्तु या वाष्प हो, जो इस प्रकार से व्यवहृत होने पर चाहे स्वतः या नाली में बहने वाली वस्तु से मिलकर खतरनाक हो उठे या अपदूषण (nuisance) का कारण हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, न डलवायेगा और न डालने देगा (cause or suffer to discharge) ;

(छ) किसी नाली में कार्बाइड ऑफ कैल्शियम या कोई ऐसा कच्चा पेट्रोल, कोई ऐसा तेल जो पट्रोल से बनाया गया हो, कोयला, शेल (shale), पत्थर या राल मिश्रित (bituminous) वस्तु या कच्चे पेट्रोल से बनी हुई वस्तु या ऐसा पदार्थ या मिश्रण जिसमें पेट्रोल हो और जिसकी जाँच करने पर उसमें ७३ डिग्री फारेनहाइट से कम तापमान पर शीघ्र जलने वाली (inflammable) वाष्प निकलती हो, न डलवायेगा और न डालने देगा।

(२) यदि उपधारा (१) के खंडों में प्रतिकूल कोई निर्माण–कार्य सम्पादित करने या अन्य कार्य करने वाला व्यक्ति नोटिस के समय उस भवन या निर्माण–कार्य का स्वामी न हो तो उस भवन या निर्माण–कार्य का स्वामी ऐसे सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिये उसी प्रकार (carrying out all such requisitions) उत्तरदायी समझा जायगा जिस प्रकार ऐसा करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होगा।

२५६. नाबदान को न क्षति पहुँचायी जायगी और न उसे अनुचित रूप से गन्दा किया जायगा—(१) कोई व्यक्ति, किसी नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उससे संबद्ध किसी संधायन या उपकरण को, जिसकी व्यवस्था एक या एकाधिक भवनों के निवासियों के संयुक्त प्रयोग के लिये की गई हो, न तो क्षति पहुँचायेगा और न उसे कलुषित (foul) करेगा।

(२) यदि ऐसा नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उनसे सम्बद्ध कोई संधायन या उपकरण या उन तक पहुँचने के मार्ग या उसकी दीवालें, फर्श या स्थान (seats) या उस सम्बन्ध में प्रयोग में आने वाली कोई वस्तु उचित रूप से उसकी सफाई न होने के कारण ऐसी दशा में हो कि उस स्थान के निवासियों या बटोहियों के लिए अपदूषण (nuisance) या उद्वेजन (annoyance) का कारण हों, उनका प्रयोग करने वाले ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो दोषी हों (in default), अथवा इस बात के साक्ष्य न होने पर कि उनका संयुक्त प्रयोग करने वालों में से कौन व्यक्ति दोषी है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने इस धारा के उपबन्धों का उल्लघंन किया है।

(३) इस धारा के उपबन्धों के कारण भवन या भवनों का स्वामी किसी ऐसे दंड से मुक्त न होगा, जिसका कि वह अन्यथा भागी होता।

२६०. राज्य सरकार नगर की सीमा के बाहर अनुच्छेद के उपबन्ध प्रसारित कर सकती है—राज्य सरकार आज्ञा द्वारा, जो सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी, किसी क्षेत्र पर, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किया जायगा, किन्तु जो नगर सीमाओं से २ मील से अधिक दूरी पर न हो, इस अध्याय की किसी धारा और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्ध ऐसे अनुकूलनों (adaptations) चाहे वे संशोधन, परिवर्धन (addition) या लोप (omissions) के रूप में हों, के अधीन रहते हुए, जो उसे आवश्यक या इष्टकर (expedient) प्रतीत हों, लागू कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार लागू किये गये उपबन्धों और नियमों का उस क्षेत्र पर वही प्रभाव होगा मानो वह नगर के भीतर हो।

२६१. अपीलें—कोई व्यक्ति जो—

(क) धारा २२६ की उपधारा (१) के अधीन की गई घोषणा से क्षुब्ध हो ; या

(ख) धारा २३० की उपधारा (१) के अधीन नाला या नाले (sewer) जोड़ने (connect) के नोटिस से क्षुब्ध हो ; या

(ग) धारा २३५ की उपधारा (१) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी नाली को भिन्न प्रकार से बनाने के आदेश (requisition) से क्षुब्ध हो ; या

(घ) मुख्य नगराधिकारी के धारा २३६ के अधीन इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि वह किसी जोड़ (connection) को बन्द करना, गिराना, बदलना या फिर से बनवाना चाहता हो ; या

(ङ) मुख्य नगराधिकारी की धारा २३७ की उपधारा (१) के अधीन ऐसी आज्ञा से क्षुब्ध हो, जिसमें किसी स्वामी या अध्यासी को इस बात का प्राधिकार दिया गया हो वह अपनी नाली को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में या भूमि के बीच से या उसके नीचे से ले जाये ; या

(च) मुख्य नगराधिकारी के धारा २३७ की उपधारा (६) के अधीन इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि उसने किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को यह आदेश दिया है कि वह नाली को एक विशेष रीति से बन्द करे, हटाये या उसका मार्ग परिवर्तित करे ; या

(छ) मुख्य नगराधिकारी के धारा २२६ के अधीन नोटिस से क्षुब्ध हो ; या

(ज) मुख्य नगराधिकारी की धारा २४२ की उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन नोटिस से या खंड (ख) के अधीन किसी आदेश या नोटिस से क्षुब्ध हो ; या

(झ) धारा २५२ की उपधारा (३) के अधीन मुख्य नगराधिकारी के इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि उसका विचार किसी नाबदान या संडास को बन्द करने अथवा बदलने या गिरा देने का है ; या

(◀ ञ) धारा २५७ के अधीन ऐसे नोटिस से क्षुब्ध हो, जिसमें स्वामी को किसी धुलाई स्थल के दोषों को दूर करने का आदेश दिया गया हो।

तो वह विहित अवधि के भीतर और विहित रीति से न्यायाधीश (Judge) के समक्ष अपील कर सकता है।

२६२. नियम बनाने के अधिकार—(१) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है;

(२) पूर्वगामी अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) धारा २२६ की उपधारा (३) के अधीन दिये गये किसी नोटिस के सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्रस्तुत करना और उनका निस्तारण (disposal) ;

(ख) वे शर्तें और निबन्धन (condition on and restriction) जिनका नालियों के सम्बन्ध में पालन किया जायगा ;

(ग) नालियों का निर्माण, सुधार, परिवर्तन या बन्द कर दिया जाना (discontinuance) ;

(घ) ख१३.[निगम] की नालियों से अन्य नालियाँ जोड़ने (connection) की शर्तें ;

(ङ) शर्तें जिन पर व्यापारिक भू–गृहादि के अध्यासी किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) को [1] [निगम] की नालियों में उत्सर्जित कर सकते हैं ;

(च) वह रीति जिससे व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण किया जाय ;

(छ) शर्तें जिनकी धारा २४६ के अधीन संवीजन–दंडों या पाइपों को खड़ा करने या लगाने में पालन किया जाय, जायगा ;

(ज) नाबदानों, संडासों, मूत्रालयों, स्नान करने या धुलाई के स्थलों का निर्माण, स्थिति और संधारण (maintenance) ;

(झ) वह रीति जिससे मुख्य नगराधिकारी धारा २५५ और २५६ के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा ;

(ञ) धारा २५५ और २५६ के अधीन निरीक्षण या परीक्षण करने के व्ययों का भुगतान ;

(ट) धारा २६१ के अधीन अपील प्रस्तुत करने और उसके निस्तारण की रीति और अवधि, जिसके भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

————————

ख१,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख२,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख३,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख४,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
ख५,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख६,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख७,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख८,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख६,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख१०,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख११,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख१२,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित
ख१३,. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित